

The Jharkhand State Assembly (Pay, Allowances and Pension) Act, 2001 Act 3 of 2001

Keyword(s):

Text of Act is in Hindi, Chief Whip, Sansdiya Sachiv, Member, Samanya Nivas Sthan, Vidhan Sabha ka Adhiveshan

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.





झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारलण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

10 বঁগাল, 1923 গ্রকাই

संस्था 76

रांची, सोमवार, 30 धप्रील, 2001

बिधि (विधान) विभाग।

धिधसूचना

28 अप्रीन, 2001

संस्था एच०जी-05/2001 लेज: 05--- फारलण्ड विधान मंडल का निम्निसित प्रधिनियम, जिस पर राज्यपास 20 पत्रीस, 2001 को सनुमति दे चुके हैं; इसके द्वारा सर्वसायारण की सूचना के खिए प्रकाशित किया जाता है

> रामायन पाण्डे, सचिव, विधि (विधान) विभाग, फ्रारसण्ड,

> > रांची ।

[कारखण्ड घिषितियम 03, 2001]
कारखण्ड विधान मण्डल (सदस्यों का वेतन,
भत्ता श्रीर पॅशन) घिषितयम, 2001

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में भारलण्ड राज्य विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह बाधिनियमित हो:—

- 1. संक्षिप्त नाम विस्तार एवं प्रारम्भ:---
 - (i) पह विधितियम फारखण्ड विधान-मण्डल (सबस्यों का बेतन, भत्ता धीर बेंग्रन) धावितियम, 2001 कहा जा सकेगा।
 - (ii) इसका विस्तार संस्पूर्ण कारकण्ड राज्य में होगा।
 - (iii) यह तुरत्त प्रवृत्त होगा।
- 2. परिभाषाएँ :- इस ग्राविनियम में जब तक कि विषय या सन्दर्भ के विरुद्ध कोई बात न हो :--(क) 'भण्डल/सभा से ग्रामियेत है भारकण्ड विधान-मण्डल/सभा ।

- (ख) "मुख्य सचेतक", "उप मुख्य सचेतक" ग्रीर "सचेतक" से प्रभिन्नेत है सत्तारूढ़ दल, जो सरकार गठित करे, द्वारा मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक एवं सचेतक के रूप में नियुक्त कोई सदस्य भीर मान्यता प्राप्त मुख्य विपक्षी दल द्वारा मान्यता प्राप्त मुख्य सचेतक भीर सचेतक।
- (ग) "संसदीय सचिव" से धिभिन्नत है राज्यपाल द्वारा संसदीय सचिव के कप में नियुक्त कोई सदस्य।
- (घ) विधानसभा की समिति से अभिन्नेत है विघानसभा द्वारा मथवा प्रव्यक्ष द्वारा उनके सदस्यों से बनी समिति।
- (ङ) ''विधानसभा का प्रधिवेशन'' से प्रभिन्नेत है, विधानसभा का प्रधिवेशन जो राज्यपाख द्वारा बुलाया जाय।
- (च) ''सदस्य'' से मिमिप्रेत है खब्यक्षा, उपाव्यक्षा, मत्रो, उप मंत्री या वेतन भोगी संसदीय सचिव, विपक्ष के नेता से मन्यया विवानसभा का कोई सदस्य।
- (छ) "सन्न" से ग्रमिप्रेत है राज्यपाल द्वारा ग्राह्त विधानसभा की प्रथम बैठक से ग्रारम्भ होने वाली ग्रीर विधानसभा के बैठक की समाप्ति के दिन से खिनिदिचतकाल के लिए समाप्त होने वाली सम्पूर्ण ग्रविध ।
- (ज) "सामाग्य निवास स्थान" से धभिष्रेत :--
 - (क) भारखण्ड विधान-मण्डल के निर्वाचित सदस्य के लिए वह स्थान, जो उसके द्वारा नाम निर्देशन तक पत्र में उल्लिखित स्थायी पता संकित हो।
 - (ख) भारखण्ड विधान-मण्डल के मनोनीत सदस्य के लिए यह स्थान जदां की मतदाता सूची में उसका नाम हो।
- 3. सदस्यों का वेतन प्रत्येक सदस्य 3 000/-(तीन हजार) रुपये प्रति माह को दर से वेतन, जो उसे उस बिन से प्राप्त होगा, जिस दिन वह सम्यक् रूप से निर्वाचित घोषित किया जाए, प्रयवा विधानसभा/ मण्डल में स्थान भरने के लिए राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य की दशा में उस तिथि से प्राप्त होग, जिस तिथि को उसे मनोनीता किया जाए, प्रथवा यदि ऐसी घोषणा या जो मनोनयन रिक्ति होने की तिथि से पूर्व किया गया हो, तो रिक्ति होने की तिथि से पाने का हकदार होगा।

परन्तु वेतन की ग्रदायगी तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि कोई सदस्य शपथ-ग्रहण न कर छेया भारतीय संविधान के अनुच्छेद-188 में निर्दिष्ट प्रतिज्ञान पर हस्ताक्षर न कर दें:—

किन्तु यह कि ग्राम चुनाब के बाद गठित नई विधान-मण्डल के किसी सदस्य की दशा में वेतन का भुगतान केवल उस तारीख से किया जायेगा, जिस तारीख को सभा की प्रथम बैठक नियत की गई है।

परन्तु यह भी कि प्रत्येक सदस्य को भुगतेय वेतन अनुपस्थिति करने के लिए ऐसी कटौतियों का दायो होगा जो इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियम में उपवंधित किया जाय ।

परन्तु यह धीर भी कि जहां कोई व्यक्ति केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार स्रथवा केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा स्वाधिकृत या नियंत्रित या किसी स्रन्य स्थानीय प्राधिकार या स्रन्य प्राधिकार के ख्यान या किसी व्यक्ति से स्थाने वेतन का हकदार हो सीर ऐसी सरकार निगम, स्थानीय प्राधिकार या स्रन्य प्राधिकार या किसी व्यक्ति से वेतन के रूप में कोई राशि प्राप्त करता हो, तो ।

- (क) यदि वेतन की राशि, जिसका वह ऐसी विश्विया प्रत्यथा के प्रश्नीन हकदार है, उस राशि के समान या उससे प्रधिक हो, जिसका वह इस घारा के प्रधीन हकदार है, तो ऐसा व्यक्ति किसी वेतन का हकदार नहीं होगा।
- (अ) यदि वेतन की राशि, जिसका वह ऐसी विधि या अन्यया के अवीन हरूदार है, उस राशि से न्यून हो जिसका वह इस घारा के अधीन हरूदार है, तो ऐसा व्यक्ति इस घारा के अधीन हरूदार है, तो ऐसा व्यक्ति इस घारा के अधीन बेतन की उस राशि

का हकदार होगा, जो वेतन की उस राशि से कम है जिसका वह इस बारा के सभीन सन्यथा हकदार है।

- 4, सवारी भत्ता—प्रत्येक सदस्य को तीन सौ रुपये प्रतिमाह की दर से सवारी भत्ता दिया जायेगा, जिस तारीख को वह रुपय ग्रहण करे, या धारा-3 में निर्दंग्ट प्रतिज्ञान पर हस्ताक्षर करे।
- 5. क्षेत्रीय भत्ता-प्रत्येक सदस्य के रूप में जापथ या प्रतिज्ञान करने की विधि से प्रतिमाह 4,000/-(चार हजार) इपये क्षेत्रीय मत्ता पाने का हकदार होगा।
- 6. मोटरनाड़ी कय हेतु ऋण की सुबिधा भारखंड विधान-मण्डल के किसी सदस्य की मांग पर मोटरगाड़ी क्रय हेतु गाड़ी के मूल्य की समतुल्य राशि ध्रयबा खिधकतम पांच लाख रुपये, जो भी कम हो, राज्य सरकार द्वारा ध्रवधारित नियम। बली में निहित शत्तों के ध्रवीन ऋण के रूप में स्वीकृत की जायेगी जो सीधे गाड़ी के कम्पनी/डीखर को भुगतेय होगा। भुगतेय ऋण राशि पर 5 प्रतिशत वार्षिक न्यांच देय भुगतेय होगा।
- 7. पोस्टल, स्ट शनरी धीर कार्यालय ब्यय की सुविधा विधानसभा के प्रत्येक सदस्य की, सदस्य के रूप में श्वय या प्रतिज्ञान करने की तिथि से संसदीय कार्यों के सम्पादन के कम में पोस्टल, स्टेशनरी बीर कार्यालय ब्यय वहन करने के लिए 2,000/- (दो हजार) प्रतिमाह रूपये भुगतेय होगा।
- 8. सदस्यों का दैनिक एवं यात्रा भत्ता- उन नियमों के अधान रहते हुए जो राज्य सरकार द्वारा इसके लिए बनाये जायं:-
- (i) राज्य के ग्रन्तगंत निम्निखिखित प्रयोजनों के लिए प्रत्येक सदस्य हर निवास दिन या उसके किसी धंस के लिए प्रतिदिन 350/- (तीन सी पचाय) क्षण की बर से दैनिक मत्ता पाने का हकदार होगा:—
 - (क) यथास्थिति, विधान-सभा के अधिवेशन में उपस्थित होने के लिए।
 स्वष्टीकरण इस निवास दिन में विधान-सभा का ग्रधिवेशन प्रारम्भ होने के पूर्व तथा
 समाप्त होने के बाद का ग्रधिक से अधिक एक दिन के निवास की ग्रविध भी शामिल है,
 प्रत्तु इसके खिए सदस्य का प्रमाणित करना होगा कि वह उन दिनों उस स्थान पर उपस्थित
 था जहां ऐसे अधिवेशन हुए हो।
 - (स) विधान-सभा को समिति की बैठक में सम्मिलित होने के प्रयोजनायें।

 स्पष्टोकरण—किसी तिथि की बैठक को समाप्ति पर सभा स्थल पर यदि कोई सदस्य आए,

 किन्तु सदन की बैठक में भाग नहीं ले सके तो उनका उस दिन सभा-स्थल पर ठहरना सदन
 की बैठक में भाग लेने के लिए निवास नहीं माना जायगा, जब तक कि अध्यक्ष द्वारा अन्यया

 पादेश न दिया जाय।
- (ii) (क) प्रत्येक सदस्य प्राम चृताव, मध्यावधि चृताव उपचृताव प्रथवा मनोतयन की दिशा में, विधान-सभा के प्रधिवेशन प्रथवा विधान-सभा के धन्य प्रधिवेशन में पहली बार उपस्थित होने के निमित्त रेल यात्रा को दशा में प्रथम श्रेणी के किराए के ड्योड़ा भाड़ा तथा निजी कार से यात्रा को दशा में प्रात किलोमोटर पांच करए का दर से भील मत्ता एवं बस यात्रा को दशा में दुगुना बस भाड़ा पाने का हरुदार होगा।
 - (ख) प्रत्येक सदस्य विद्यान-सभा का प्रधिवेशन या विधान-सभा की समिति सथवा सदस्य के रूप में अपने कर्त्तं व्यों से सम्बन्धित किसी सन्य कारोबार में, भाग लेने के निमित्त सपने सामान्य ानवास स्थाग से उस स्थान तक जहां विधान-सभा की समिति की बैठक या सन्य कारोबार किया जाने वाला हो, उनके द्वारा की गई प्रत्य क यात्रा और ऐसे स्थान से सपने सामान्य निवास स्थान की वापसा यात्रा के लिए दें निक भत्ता के अतिरिक्त कोई यात्रा भत्ता पाने का हकदार नहीं होगा,

परन्तु, भीर कि, यदि हाई सदस्य उपवारा (ii) (ख) के प्रयोजनार्थ यात्रा करे, तो यह केवल निम्न का हकदार होगा :-

- (क) रेक द्वारा की गई हरेक थात्रा के लिए प्रथम श्रेणी के किराए की बाधी रक्स की दर से धानुवंगिक खर्च (वार्ज),
- (ख) राज्य पथ परिवहत सेवा की बसों द्वारा की गई हरेक बाजा के खिए निर्धारित वस बाड़े के समतुत्य धितरिकत राशि का मानुवंगिक सर्च,
- (ग) निजी कार से की गई यात्रा के बिए नियमानुसार निषीरत दर से ,

 परम्तु, भीर कि, ऐसे सबस्यों को जिनके पास निजी कार नहीं है, उन्हें देल हारा प्रथम भेगी
 का स्योदा रेज भाड़ा देय होगा,

 परन्तु यह भी, कि जहां कोई सदस्य घारा-8 के स्थीन नि:शृत्क यात्रा करता हो तो बहु केंदल
 विम्नलिखित का हकदार होगा:—
 - (क) प्रत्येक रेन यात्रा के लिए प्रथम अंग्री के किराये की खाबी दर से घानुवंतिक माड़ा,
 - (ख) राज्य पथ परिषहन सेवा की बस द्वारा की गयी प्रत्येक यात्रा के बिए प्रथम बेणी के राजपत्रित पदाधिकारियों को बनुमान्य दर से धानुषंगिक भाइत ।
- (iii) प्रश्येक सदस्य को राज्य के बाहर धन्ययन यात्रा के खिए 500/ (पांच सो) रुपये दैनिक अत्ता धनुमान्य होगा।

स्पटीकरण----

- (i) राज्य के सन्दर सपने एक वर्ष के कार्यकास में स्विकतम 7 दिनों का दो बार स्थल अञ्चल-यात्रा मान्य होगा और सन्तरास 5 (पांच) माह से कम का नहीं होगा।
- (ii) राज्य के बाहर स्थल धध्ययन वर्ष में धिकतान 15 दिनों की धविष के लिए दो बार धनुमान्य होगा, परन्तु स्थल घड्ययन का धन्तराल 4 माह से कम का नहीं होगा।
- रेख या पथ परिवहन सेवा द्वारा निःशुल्क परिवहन—
 - (i) ऐसी शत्तों के ब्रधीन जो राज्य सरकार नियमों द्वारा निर्धारित करे, अपने कलंड्यों के सम्बन्ध में यात्रा करने वाला प्रश्येक सदस्य भीर उसके साथ यात्रा करने वाला सहयात्री, यदि कोई हो, को रेखवे क्पन उपबन्ध कराये जायेंगे: जैसा कि नीचे निर्दिट किया गया है—
 - (क) कारखण्ड राज्य के मीतर किसी स्थान या स्थानों पर सभी यात्रामों के लिए।
 - (ख) क्यारखण्ड राज्य के बाहर, किन्तु भारत के भीतर किसी स्थान या स्थानों की ऐसी बच्ययन यात्रामी के लिए प्रति नयं 1,50,000 (एक लाख, पवास हवार) किसोमीटर या उसके मूल्य के खिए रेखने कूपन विया जायेगा।

स्पब्दीकरण-वर्ष से समिमेत है 1 जून से सारम्भ होने वाली और 31 मई को समाप्त होने वाली कासाविध ।

- (ii) प्रश्येक सबस्य भीर उसके साथ यात्रा करने वाले सह्यात्री, यदि कोई हो, तो शहस्तांतरसीय पास उपलब्ध कराया जाशेंगा, जिससे वे ग्रामीण क्षेत्रों के सिवाए निगम के किसो मार्ग पर जलने वाली भारखण्ड राज्य प्रथ परिवहन निगम की किसी वस यात्रा से यात्रा करने के हककार होंगे।
- (iii) प्रत्येक सदस्य प्रपने साथ धपनी यात्रा के दौरान फारखण्ड राज्य के मीतर या बाहर किसी सहयात्री को धपने साथ ले जाने का हकदार होगा।
- (iv) कंडिया 9 (i) (ख) के घन्तगंत वैकल्पिक रूप से विहित राशि सीमा के समतुल्य राशि के धन्तान प्रत्येक सदस्य हुवाई जहाज का टिकट ऋय कर भारत के भीतर यात्रा करने का हकदार होगा।
- 10. कर्म्यूटर का प्रावधान प्रश्येक सदस्य को नि:शुरूक कम्प्यूटर की सुविधा देव होगी जिसका मूस्य अधिकतन 75,000/ क्यं की सीया के अन्तर्गत होगा प्रयं सदस्यता सभाप्त होने पर उन्हें कम्प्यूटर विधान-मण्डल को वापस कर देना होगा।

- 11. निजी सहायक का प्रावधान-प्रत्येक सदस्य को सदस्य रहने की प्रविध पर्यन्त प्रधिकतम 3,500/-(तीन हजार, पांच सी) रुपये समेकित वेतन पर एक निजी सहायक की सुविधा धनुमान्य होगी। निजी सहायक की टंकन एवं कम्प्यूटर प्रशिक्षण का ज्ञान प्रावक्यक होगा।
- 12. विकित्सा भत्ता--भारखण्ड विधान-महत्त के प्रत्येक सदस्य को दो हजार वंपये प्रतिमाह की दर हैं विकित्सा भत्ता का भुगतान देय होगा।
- 13. दूरमाण का प्रावधान—प्रत्येक सदस्य को उसके शांची स्थित धावास में दूरभाव उपलब्ध कराया आयोगा, जीसा कि राज्य सरकार नियमों द्वारा घवधारित करे। प्रत्येक सदस्य को वर्ष में घिषकतम 50,000 स्थानीय काँल की मुक्त सुविधा अनुमान्य हीगी।
- 14. धवारी मला सौर प्रश्य भले —यदि कोई हो, स्टाफ कार, दूरमाव सम्बन्धी सुविधायें ग्रांदि ऐसी शलों के समीन भीर ऐसी दरों पर उपबन्ध करायी जायेंगी, जैसा कि राज्य सरकार समय-समय पर नियमों हारा विधारित करे।

15. नियम दनाने की शक्ति:---

- (i) राज्य तरकार राज्यत्र में श्राधसूत्रना द्वारा इस श्राधिनियम के उपवन्थों को कार्योन्वित करने के प्रयोजनार्थ नियम बना सकेगी।
- (ii) विशिष्टतः भीर पूर्ववर्ती सवितयों की व्यावकता पर प्रतिकृत प्रमाण हाले विना राज्य सरकार निव्नतिसित के अवधारण हेतु नियम बना सकेगी---
 - (क) ऐसी पढ़ित जिसके द्वारा बेतन एवं मत्ते की निकासी की जायेंगी तथा जिस रीति से घीर जिस रूप में ऐसे वेतन एवं भत्ते सम्बन्धी विषत्र तैयार किये जायेंगे, प्रतिहस्ताखरित किये जायेंगे भीर भुनाये जायेंगे,
 - (ब) भगातार अनुपहिषति भीर कटौती की सीमा, जो ऐंसी धनुपहिषति के लिए सदस्यों के बेतन से की जायेगी,
 - (न) वह कालावधि जिसके दौरान और जिन शत्तों के धर्मान दैनिक और यात्रा मत्ते की निकासी की जायेगी तथा वह दर जिस बर से यात्रा मत्ते की निकासी की जायेगी।
 - (घ) जिन रियायती दरों पर सदस्यों द्वारा मकान भाड़ा घटा किया अध्येगा ।
 - (ङ) जिन शतों के प्रजीन और जिस रीति से रेल यात्रा अयेवा राज्य पथ परिवहन सेवा के खिए सदस्यों को कूपन उपलब्ध कराये जायेंगे।
 - (च) सदस्यों एवं उनके परिवार को चिकिस्सा सुविधाओं एवं यन्य रियायतों को मंजूर करना।
 - (क्र) प्रत्येक सदस्य के सरकारी माबास पर दूरभाव स्वावित करना और उस पर उपगत व्यय माबि।
 - (ज) राज्य के भीतर एवं बाहर प्रवनी यात्रा के दौरान किसी सहयात्री को पवने साथ से जाने के लिए सदस्यों को दी जाने वाली सुविधाओं की मंजूर श्वश्मा।
- (iii) इस बारा के समीन बनाया गया प्रत्येक नियम इसके बनाये जाने के बाद यथाशक्य शीझ सम के बीरान राज्य विधान-सभा के समझ प्रस्तुत किया जायेगा, जिसकी कुल धविब 14 दिनों की हो, जो एक सन में जवबा दो खगातार सनों में समाधित्य हो, भीर यदि सन की समाप्ति के पूर्व जिसमें इसे प्रस्तुत किया गया हो, या इसके ठीक बाद बाले सन में, सदन नियम में उपान्तरल करने के लिए सहमत हो, प्रथवा सदन सहनत हो कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो तत्परवात् इस नियम का प्रभाव यथास्थिति केवल ऐसे उपान्तरित रूप में होगा, या इसका प्रभाव ही नहीं होगा किर भी ऐसे उपान्तरल या बातिसीकरण उस नियम के धधीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधि-मान्यता पर प्रतिकृत प्रभाव डाले बिना होगा।

- 16. इस प्रधिनियम के प्रधीन दिये गये नेतन या भत्ते की प्राप्ति से पेंशन का प्रधिकार प्रभावित नहीं होगा:— इस प्रधिनियम की कोई बात किसी नेतन या भत्ते, जिसका वह इस प्रधिनियम के प्रधीन हरूदार हो, पाने से निर्वारित नहीं करेगी।
- 17. विचान-सभा के सदस्यों का पेंशन:-
 - (i) वैसे प्रत्येक व्यक्ति को जिसमे यथा स्थिति --
 - (क) कारखण्ड विधान-समा के सदस्य के सप में, या
 - (स) वैसा कोई व्यक्तिं जो फारखण्ड विधान-मण्डल के सदस्य के रूप में निर्वाचित/मनोनीत हुआ हो, शाप्य ग्रहण करने के बाद तीन हजार रुपये प्रतिमाह आजीवन पेंशन पाने का हकदार होगा और वह प्रत्येक वर्ष के पूरा होने पर तीन सो रुपये प्रतिरिक्त पेंशन पायेगा, पस्तु, यह भी, कि विधान-मण्डल के किसी सदस्य कीस्टरयता अविध उसके यथास्थिति निर्वाचित पा मनोनीत घेषित होने से लेकर विधान-मण्डल के भग होने तक, परेंग्तु, राष्ट्रपति द्वारा भग किये जाने या मध्याविध चृनाव होने, या सदस्यता से त्यागप्य देने, या सदस्य की मृत्यू होने को छोड़कर, की ग्रविध यदि चार वर्ष छः माह हो तो बह धविध पेंशन देने के प्रयोजनाय पाँच वर्षों की पूरी ग्रविध के रूप में मानी आयेगी, परन्तु यह ग्रीर भी, कि प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को, जिसने विधान-मण्डल के सदस्य के रूप में (चाहे निरन्तर हो या नहीं) पाँच वर्ष को ग्रविध से कम ग्रविध के लिए कार्य किया हो, ग्रवने जीवन पर्यन्त एक वर्ष की ग्रविध के लिए तीन सी रुपये प्रतिमाह तथा बाद के प्रत्येक वर्ष के छिए पचास रुपये ग्रविस्तत राशि प्रतिमाह की दर से पेंशन पाने का हकदार होगा।
 - (ii) जहां कोई व्यक्ति उपचारा (i) के अधीन पेंशन पाने का हकदार हो, वह व्यक्ति-
 - (क) यदि राष्ट्रपति या उप-राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित किया जाता हो, धयवा किसी राज्य का राज्यक्षल या संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक नियुक्त किया जाता हो, या
 - (ख) संसद के किसी सदन का सदस्य बन जाता हो, प्रथवा किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की विघान-सभा या किसी राज्य की विधान परिषद् का सदस्य बन जाता हो, या
 - (ग) केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार घथवा केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी स्थानीय प्राधिकार के स्वामित्व वाले या नियंत्रणाघीन निगम के खबीन सचेतन नियोजित हो प्रथवा ऐसी सरकार, निगम या स्थानीय प्राधिकार से कोई पारिश्रमिक पाने का खन्यथा हकदार हो, तो ऐसा व्यक्ति उपधारा (i) के प्रधीन उस प्रविष्ठ के दौरान, जिसके दरम्यान वह ऐसा पद घारण किये रहता हो, या ऐसा सदस्य बना रहता हो, या इस प्रकार नियोजित रहता हो, या ऐसे पारिश्रमिक पाने का हकदार बना रहता है, ऐसी पँचन पाने का हकदार नहीं होगा। परन्तु, जहाँ ऐसे व्यक्ति को ऐसा पद घारण करने के लिए या ऐसा सदस्य होने के लिए या इस प्रकार नियोजित रहने के लिए वेतन भूगतेय हो प्रथवा जहाँ ऐसे व्यक्ति को खंड (iii) में निर्देश्ट पारिश्रमिक भूगतेय हो, के लिए दोनों मामले में बह व्यक्ति उपधारा (i) के प्रधीन उसे देय पंचन में से घटाकर उस उपधारा के प्रधीन पंचन के इन्दार होगा।
 - (iii) (क) जहाँ ऐसी विधि के श्रधीन, या श्रन्थथा पेंशन की ऐसी रकम जिसे वह पाने का हकदार हो, वहाँ उपधारा (i) के अधीन उस रकम के बराबर या उससे अधिक हो, जिसको पाने का वह हकदार हो, तो ऐसा व्यक्ति उपधारा (i) के श्रधीन कोई पेंशन पाने का हकदार नहीं होगा, श्रीर
 - (ख) जहाँ पेंशन को ऐसी रकम जिसे वह ऐसी विधि के ग्रधीन, या ग्रन्यवा पाने का हकदार हो, उस रकम से कम हो जिसे वह उपधारा (i) के ग्रधीन पाने का हकदार

हो तो ऐसा व्यक्ति उस उपधारा (i) के मधीन पेंशन की केवल ऐसी रकम पाने का हकदार होगा जो पेंशन की उस रकम से कम हो, जिसे वह उस उपधारा के मधीन मन्या पाने का हकदार हो;

परन्तु इसे श्रिवितयम के श्रिष्ठीन वर्तमान या भविष्य में राजनीतिक उपहुत (पोलिटिक स सफरर) पेंशन प्राप्त करने के कारण पूर्व विधायकों की अनुमान्य पेंशन से कोई कटौती नहीं की जायगी।

- (iv) खपधारा (i) के प्रयोजनार्ध वधीं की गणना करते समय फारखण्ड मंत्री का वेतन एवं मत्ता ध्रिधिनियम, 2001 में यथा परिभाषित मंत्री के रूप में या फारखण्ड विधान-मंडल (पदा-धिकारियों का वेतन एवं मत्ता) अधिनियम, 2001 में यथा उल्लिखित किसी पदाधिकारी भौर फारखण्ड विधान-मंडल (विपक्ष के नेता का वेतन एवं मत्ता) अधिनियम, 2001 यथा परिभाषित विपक्ष के नेता और वर्तमान अधिनियम के मधीन, राज्य सरकार के अन्तर्गत संसदीय सचिव के रूप में जिस खबिच में किसी व्यक्ति ने सेवा की हो, उस धविध की भी गणना की जायेगी।
- (v) वैसे प्रत्येक ब्यक्ति की उपधारा (i) के ध्रधीन, पेंशन पाने का हकदार हो, की मृत्यू के पश्चात् उसकी पत्नी/पित को धाजीवन पारिवारिक पेंशन नीचे प्रकित दर पर दिया जायेगा:— पेंशन की राशि का पचहत्तर प्रतिशत परिवारिक पेंशन देय होगा, परन्तु यह भी, कि उपधारा (ii) एवं (iii) के उपबंध पवं शत्तं मृत व्यक्ति की पत्नी/पित पर भी लागू होंगे, परन्तु, यह भी कि यदि पारिवारिक पेंशन पाने वाखा ब्यक्ति सगर शादी कर ले, तो ऐसी दशा में पारिवारिक पेंशन पाने का हकदार नहीं होगा।
- (एं) वैसे प्रत्येक व्यक्तिको जो उपधारा (i) के ग्रचीन पेंशन पाने का हकदार हो, राज्य के भीतर प्रति वर्ष 20,000 (बीस हजार) किलोमीटर प्रथम श्रेणी में रेजवे कूपन पर यात्रा कर सकेगा भीर राज्य के बाहर प्रति वर्ष 15,000 (पन्द्रह हजार) किलोमीटर रेल द्वारा प्रथम श्रेणी की यात्रा कूपन पर कर सकेगा।
- 18. पूर्व विवासकों की विकित्सा सुविधा—धारा-17 में उल्लिखित ऐसी पेंशनभोगी पूर्व विधायक धाजीवन नि:शुल्क विकित्सा, परिवर्षा, दवाओं की आपूर्ति, अस्पतालों में भर्ती होने की सुविधा पाने का हकदार उस सीमा तक होगा, जैसा कि राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर बनाए गए नियमों द्वारा धवधारित किया जाय।

भारसण्ड राज्यपाल के षादेश से, रामायण पाण्डेय, सरकार के सचिव ।